संख्या:95/2018/1965जेएल/22-3-18-100(102)/2018

प्रेषक,

हरि नारायण गिरि,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 24 सितम्बर, 2018***

विषय: केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष/विचाराधीन बंदियों को प्रशासनिक आधार पर अन्यत्र कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-34119/सामा-1(3)/बं0स्था0मे0परि0/2018, दिनांक 19-09-2018 में की गयी संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध निम्नलिखित 05 सिद्धदोष/विचाराधीन बंदियों को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-4 की कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र.स.	बंदी का नाम व पिता का नाम	निरूद्धि की वर्तमान कारागार	कारागार का नाम जहॉ स्थानान्तरित किया जाना है।
1	2	3	4
1	वि0 बंदी शादाब कुरैशी पुत्र श्री इकराम कुरैशी	के0का0 बरेली	जि0का0पीलीभीत
2	सि0/वि0 बंदी रोहित पुत्र श्री सेन्सर पाल	के0का0 बरेली	के0का0आगरा
3	सि0/वि0 बंदी प्रताप सोलंकी पुत्र श्री राधेश्याम	के0का0 बरेली	जि0का0लखनऊ
4	सि0/वि0 बंदी रविन्द्र लुड्डा पुत्र श्री चरन सिंह	के0का0 बरेली	के0का0फतेहगढ़
5	सि0/वि0 बंदी गुलाब सिंह पुत्र श्री देवी सिंह	के0का0 बरेली	जि0का0लखनऊ

2- कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्याशासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

हरि नारायण गिरि
अनु सचिव।

संख्या:95/2018/1965जेएल(1)/22-3-18-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था, उ0प्र0, पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
3. जिला मजिस्ट्रेट, बरेली/पीलीभीत/आगरा/लखनऊ/फर्रूखाबाद।
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली/आगरा/लखनऊ एवं पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत/फर्रूखाबाद।
5. वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली/आगरा/फतेहगढ़।
6. वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, लखनऊ एवं अधीक्षक, जिला कारागार, पीलीभीत।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

हरि नारायण गिरि
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in